दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 23-06-2025

लोको पायलट प्रमोशन: रेलवे को 11 साल बाद करानी होगी विशेषज्ञ समिति से अंकों की जांच

हाई कोर्ट ने खारिज की एसईसीआर की याचिका, कैट का आदेश बरकरार

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

लोको पायलट पदोन्नति परीक्षा में कम अंक मिलने पर एक अभ्यर्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट में मामला प्रस्तुत किया था। कैट ने रेलवे को विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर अंकों की फिर से जांच करने को कहा था। आदेश के खिलाफ एसईसीआर ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। रेलवे ने लोको पायलट के 7 पदों पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2014 में विभागीय परीक्षा ली थी। मॉडल आंसर के आधार पर कर्मचारी सनत राव ने अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए आवेदन दिया। बताया कि 56 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। उनमें से केवल 18 ही लिखित परीक्षा पास कर पाए। मूल्यांकन के बाद 4 उम्मीदवारों को लोको पायलट के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र पाया गया। हालांकि रेलवे ने उसकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उसे 3 अंक दिए। उसके अंक 54.5 से बढ़कर 57.5 हो गए। लेकिन उसका चयन नहीं हुआ।

पारदर्शिता बढ़ाने यह जरूरी: हाई कोर्ट

रेलवे ने कैट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पाया कि कैट ने अंतिम चयन नहीं किया, बल्कि पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा है। इसे गलत नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार न बनाना कोई गंभीर त्रुटि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह आदेश पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए है।